

26.08.2025 वकिल प्रार्थीगण अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी सूरत में आवेदन पर आगे चलाने का औचित्य नहीं है। मिहाना प्रार्थीगण का आवेदन पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
घमावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा